न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 45/14 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00089

उनवान

1. रामवती वेवा मंशापुरी (फौत दौराने अपील)
2. दिनेश } पिसरान मंशापुरी
3. मुनेश
4. भरत
5. भानपुरी पुत्र जीवनपुरी
6. जगदीशपुरी पुत्र करनपुरी
7. टुण्डापुरी (फौत दौराने अपील)
8. रमेशपुरी } पिसरान टुण्डापुरी
9. उमाशंकर
10. भूरी पुत्री टुण्डारापुरी

} कौम गुसाई नि0 नयागॉव तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 30.06.2014 प्र0स0 51/01 उनवान मंशापुरी बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री अश्विनी कुमार जैन उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 एक वाद 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जरिहा नम्बर 1 तहसील राजाखेडा में स्थित है। जिस पर वादी अपीलाण्ट का उनके पिता के समय से ही कब्जा काश्त है। अतः विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट को कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। विवादित आराजी को वादी अपीलाण्ट के पूर्वजो ने तत्कालीन जमींदारो से हमेशा–हमेशा के लिये काश्त पर लिया था इस बाबत् एक पट्टा भी तस्दीक किया गया। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2014 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्वजो का संवत 2010 से पूर्व का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी को अपीलाण्ट के पूर्वजो ने तत्कालीन जमींदारो से पट्टे पर हमेशा–हमेशा के लिये प्राप्त किया था। अतः अपीलाण्ट को मुताबिक कानून स्वतः ही विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार हासिल हो गये। परन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक चलती रही। अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 की भी कार्यवाही चली। जिसकी अपील रिमाण्ड होकर वापस तहसीलदार को प्राप्त हुयी, जिसमें तहसीलदार राजाखेडा ने आदेश दिया कि अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं किया जावें एवं लगान वसूल कर खातेदारी हकूक दिये जावें। परन्तु उक्त आदेश की पालना नहीं हो सकी। पटवारी हल्का ने दोबारा बेदखली की धमकी दी, तब जाकर विवादित आराजी बाबत् घोषणात्मक दावा किया। सन् 1965 के निर्णय को तहसीलदार ने स्वीकार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 21.09.2011 में सन् 1965 तहसीलदार के आदेश को स्वीकार किया है एवं उक्त मिसल को तलव करने के आदेश हुये, परन्तु उक्त मिसल नहीं भेजी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 के निर्णय में तहसीलदार का आदेश बिना क्रियान्विती के मान्य नहीं है अंकित की जाकर वादी अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गयी हैं। जिनसे विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो पर कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलाण्ट ने बयान भी कराये हैं एवं उक्त बयानो में विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त बताया गया है। प्रतिवादी तहसीलदार ना तो उपस्थित हुये एवं ना ही वादी अपीलाण्ट के वाद अथवा किसी साक्ष्य का विरोध ही किया। खसरा गिरदावरी से वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर संवत 1969 को कब्जा काश्त साबित है। अतः वादी अपीलाण्ट 19 एए के तहत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 का निर्णय ही नहीं किया। जबकि सभी तनकियों का निर्णय किया जाना आवश्यक है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2024(2) पेज 470, एआईआर 2006 पेज 215, आरआरडी 1990 पेज 425, 1988 पेज 337 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु तीन तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर वादी अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया है। वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी को तत्कालीन जमींदारो से पट्टा पर लेना एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 04.08.1965 से विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कथन करते हैं। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पट्टे

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

एवं तहसीलदार के आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाकर छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। वादी अपीलाण्ट ने उक्त पट्टे एवं तहसीलदार के आदेश की प्रति हस्तगत अपील के साथ भी प्रस्तुत की गयी है। हमने उक्त दस्तावेजो का अवलोकन किया। कथित पट्टे में विवादित भूमि 10 बीघा अंकित है एवं हस्तगत प्रकरण में 5 बीघा भूमि विवादित है। इसके अलावा कथित पट्टे में खसरा नम्बर भी अंकित नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि पट्टा विवादित भूमि से ही संबंधित हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष में भी कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 04.08.1965 की क्रियान्विति तत्समय राजस्व रिकार्ड में नहीं हुयी, उसके क्या कारण रहे। इस तथ्य बाबत् वादी अपीलाण्ट ने अपने दावे में कोई तर्क अंकित नहीं किये हैं। यहॉ यह भी विचारणीय है कि क्या तहसीलदार को विवादित भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होती चली आ रही है, पर किसी व्यक्ति को बेदखली की वजाय खातेदारी अधिकार प्रदान करने के कानूनी अधिकार थे। हमारी राय में इस प्रकार सिवायचक भूमि में किसी अतिक्रमी को बेदखली के बजाय खातेदारी अधिकार प्रदान करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं थे। तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा वादी अपीलाण्ट के निरन्तर कब्जे के अनुसरण में विवादित आराजी को वादी अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन की सिफारिश हेतु, आवण्टन सलाहकार समिति को प्रकरण प्रेषित कर सकते थे। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट को तहसीलदार के आदेश दिनांक 04.08.1965 से भी कोई लाभ नहीं पहुॅचता है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी से प्रथम दृष्टया वादी अपीलाण्ट का कब्जा तो सिद्ध है। परन्तु उनके खिलाफ समय–समय पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुये उन्हें बेदखल किया गया है। अतः उक्त कब्जा मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जावेगा। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से उस पर किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट ही यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 02 का निर्णय नहीं किया है बाबत् हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी का निर्णय करते हुये वादीगण अपीलाण्ट के विरूद्ध तय की गयी है। अतः आपत्ति अपीलाण्ट में हम कोई बल नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार तार्किक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2014 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर